न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियॉ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 101/22 तारीख दायर 19.5.2022

1– रूकमा देवी पत्नि बहादुर जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– लीला देवी पत्नि राधेश्याम जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थीगण

बनाम

1– रूपा पिता देवा जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी आटी चम्पापुर तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2– कैलाशी पत्नि कालु जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी आटी चम्पापुर तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

3– गणेश पिता सत्यनारायण जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी आटी तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

4– भागीरथ पिता चुन्नीलाल जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

5– राधा पत्नि रमेश जाति बंजारा उम्र वयस्क निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियॉ जिला भीलवाड़ा (राज0)

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 रा0ले0रे0 एक्ट

–:आदेश:–

दिनांक 19.5.2022

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री रूकमा देवी लाला देवी** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुनील बाकलीवाल** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम आटी, पटवार क्षैत्र गुढा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्या, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 208 आराजी नंबर 440 रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत **2074 से 2077** के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड् रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम आटी, पटवार क्षैत्र गुढा, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र कास्या, तहसील बिजौलियॉ में स्थित खाता संख्या 208 आराजी नंबर 440 रकबा 0.7932 हैक्टेयर भूमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि ......100....../– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉ (भीलवाड़ा)